

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 147 / 2024 अपील (GCMS 2024/195)

पंजीयन दिनांक– 09 / 07 / 2024

निर्णय दिनांक– 26 / 05 / 2025

1. श्री रतनलाल पिता मांगीलाल जाट, निवासी रेवाड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती सोहनीबाई पत्नि मांगीलाल जाट, निवासी रेवाड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलांट्स

बनाम

1. श्री रतनलाल पिता मोतीलाल भील, निवासी रेवाड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री शोभालाल पिता मोहनलाल भील, निवासी भटवाडा खुर्द, कांटी, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोडेंट्स

उपस्थिति:—

1. श्री शिवनारायण जाट अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री तरुण श्रीमाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या

30 / 2024 निर्णय दिनांक 30.07.2024

निर्णय

दिनांक 26 / 05 / 2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 30 / 2024 निर्णय दिनांक 03.07.2024 के विरुद्ध दिनांक 09.07.2024 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि के अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मृतक खातेदार हीरा पिता खेमा भील को भू-आवंटन कमेटी, कपासन द्वारा दिनांक 24.02.1981 को मौजा रेवाड़ा, तहसील राशमी की साबिक आराजी नम्बर 1823/211 रकबा 2.02 बीघा भूमि का आवंटन बिना कब्जे के आधार पर कर दिया, जिसके नवीन सेटलमेंट आराजी नम्बर 2055/211 रकबा 0.3399 हैक्टेयर कायम किये गये। आवंटी की मृत्यु पश्चात् रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने दुर्भावनापूर्वक हीरा पिता खेमा भील की चल व अचल संपत्ति गलत स्टाम्प जारी करवा कर अपने नाम वसीयतनामा निष्पादित करा फर्जी अंगूठा निशानी हीरा की अंकित कर दी और मौजा सांखली व रेवाड़ा में मृतक हीरा पिता खेमा के नाम दर्ज आराजीयात का विरासती नामांतरकरण संख्या 2202 दिनांक 26.06.2022 अपने नाम स्वीकृत करा लिया जिसमें मौजा रेवाड़ा की आराजी नम्बर 2055/211 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भी सम्मिलित है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार, राशमी द्वारा प्रकरण संख्या 06/2022 से पारित निर्णय व आदेश दिनांक 13.05.2022 आराजी नम्बर 2055/211 रकबा 0.3399 हैक्टेयर के संबंध में निरस्त फरमाया जाकर उक्त आराजीयात को राजगामी संपत्ति घोषित कर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 30/2024 निर्णय दिनांक 03.07.2024 से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03.07.2024 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:—**“अपीलांट्स विवादित आराजीयात के संबंध में अपने को प्रभावित पक्षकार (Aggrieved Person) साबित**

करने में विफल रहे हैं, निष्कर्षत अनका प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा उक्त आधार पर अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है। "

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री शिवनारायण जाट उपस्थित, रेस्पोंडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री तरुण श्रीमाल उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.05.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक खातेदार हीरा पिता खेमा भील को भू-आवंटन कमेटी कपासन द्वारा दिनांक 24.02.1981 को मौजा रेवाड़ा, तहसील राशमी की साबिक आराजी नम्बर 1823/211 रकबा 2.02 बीघा भूमि का आवंटन बिना कब्जे के आधार पर कर दिया जिसके नवीन सेटलमेंट में नवीन आराजी नम्बर 2055/211 रकबा 0.3399 हैक्टेयर कायम किये गये। उक्त आराजी पर आवंटी हीरा पिता खेमा भील का कभी कब्जा नहीं रहा। आवंटी हीरा की मृत्यु के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 ने दुर्भावनापूर्वक हीरा पिता खेमा भील की चल व अचल सम्पत्ति हड़पने की नियत से हीरा पिता खेमा भील का गलत स्टाम्प जारी करवाकर हीरा पिता खेमा की ओर से अपने पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित करवा कर फर्जी अंगूठा निशानी हीरा की अंकित कर दी। उक्त वसीयतनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी रिपोर्ट ली जाकर विरासती नामान्तरण संख्या 2202 दिनांक 26.06.2022 जिसमें आराजी नम्बर 2055/211 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भी सम्मिलित है का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवा लिया। मौजा रेवाड़ा की आराजी नम्बर 2055/211 रकबा

0.3399 हैक्टियर जो कि अपीलांट्स की आराजीयात से लगी होकर अपीलांट्स के कब्जे व काश्त में चली आ रही है जिस पर आवंटी हीरा पिता खेमा का कभी भी कब्जा नहीं रहा जिससे उक्त आवंटन निरस्त कराने हेतु अलग से रेस्पोजेन्ट्स के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत नियम 14 (4) भूआवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर रखी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने फर्जी वसीयतनामे के आधार पर मौजा सांखली व मौजा रेवाड़ा की सम्पूर्ण आराजीयात का नामान्तरण रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर स्वीकृत कर दिया व उक्त नामान्तरण के आधार पर अपीलांट्स के कब्जे—काश्त की आराजीयात रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के नाम पंजीकृत बहनामे से हस्तांतरित कर दी व रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने बिना कब्जे के ही उक्त आराजीयात को रूपान्तरण योग्य नहीं होते हुए भी आवासीय रूपान्तरण करवा लिया जो अपने—आप में अवैधनिक होने से निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2017 (2) Page 1279, RRT 2011 (1) Page 646, RRT 2020 (2) Page 1066, RRT 2023 (1) Page 93 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश पूर्णतया विधिसम्मत होकर नियमों के अनुरूप पारित किया गया है। भू आवंटन कमेटी कपासन द्वारा सन् 1981 में उक्त आराजीयात मृतक आवंटी हीरा पिता खेमा भील को आवंटित की तथा मृतक आवंटी के कब्जे के आधार पर तथा पूर्ण नियमों की पालना करने से आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर उक्त आराजीयात मृतक आवंटी के खातेदारी में दर्ज हुई। चूंकि उक्त आराजीयात हीरा को आवंटित होने से यह पुश्तैनी भूमि नहीं होकर स्वअर्जित भूमि है जिसे वसीयत करने का आवंटी को अधिकार है। वसीयत नामे का रजिस्टर्ड होना आवश्यक

नहीं है। उक्त वसीयतनामे के गवाहों के बयान के आधार पर सुनवाई करके अधीनस्थ न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है जो कि 135 (2) के अन्तर्गत होने से उक्त प्रकरण के श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्रदत्त नहीं है। मृत्तक हीरा को आवंटित साबिक आराजी नम्बर 1823/211 रकबा 2.02 बीघा पर अपीलांट्स ने अपने कब्जा होने का मनगढ़न्त तथ्य अंकित किया है। यदि उक्त आराजीयात पर अपीलांट्स का कब्जा-काश्त होता तो आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होते। यदि मान भी लिया जावे की विवादित आराजीयात पर अपीलांट्स का कब्जा-काश्त था तो भी अपीलांट्स सवर्ण जाति का सदस्य होकर उसकी जाति जाट है, जबकि उक्त विवादित आराजीयात अनुसूचित जनजाति के सदस्य की होकर भील जाति के व्यक्ति की है जो कि किसी भी प्रकार अपीलांट्स के आवंटन एवं कब्जे-काश्त योग्य नहीं मानी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर विधिवत् सुनवाई करके रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने उक्त आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 को विक्रय की है जिसे रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने आवासीय रूपान्तरण करवा ली है। जिससे यह कृषि भूमि नहीं रहकर आवासीय रूपान्तरित भूमि है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमावें।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.07.2024 की अपील अपीलांट्स द्वारा दिनांक 09.07.2024 को अंदर मयाद पेश की गयी है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अपीलांट्स

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 30/2024 निर्णय दिनांक 03.07.2024 से अपीलांट्स की अपील खारिज किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट्स का प्रमुख उद्गम रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार, राशमी के पारित आदेश अन्तर्गत धारा-135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं था। इस संबंध में यह न्यायालय सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-135 का उल्लेख किया जाना उचित समझता है, जिसके प्रावधान है कि

135.सूचना मिलने पर रिपोर्ट-(1) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा ऐसे तथ्यों का ज्ञान होने पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो और निर्विवाद मामलों में यदि यह प्रतीत हो कि उत्तराधिकार या अन्तरण (Transfer) या अन्य व्याप्ति (Acquisition) हो चुकी है, तो वह उसी वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित करेगा।

(2) यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार से अवधि विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, विधि के अनुसार विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में सक्षम हो, भेज देगा।

उपरोक्त प्रावधानोंनुसार ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार जांच के पश्चात् अविभाजित एवं विवादित मामलों की वार्षिक रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

की धारा-133, 134, 135 में नामान्तरकरण की रिपोर्ट से लेकर बाद नामान्तरकरण खोलने एवं प्रमाणीकरण के बारे में कानूनी व्यवस्था वर्णित है। इस बारे में पूर्ण विधि का विवरण राजस्थान भू-राजस्व अभिलेख नियम, 1957 के नियम 119 से 148 में दिया गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय में किये गये वर्णन एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार समक्ष नामान्तरकरण की कार्यवाही विवादित थी। इस प्रकरण में नामान्तरकरण की कार्यवाही अविवादित न होकर विवादित थी और नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-135(2) के अन्तर्गत आता है। ऐसे आदेश के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के खण्ड (एफ) के अन्तर्गत निदेशक भू-अभिलेख के समक्ष अपील किये जाने का प्रावधान है और निदेशक भू-अभिलेख की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त/अति.संभागीय आयुक्त को प्रदत्त की गई हैं। अतः तहसीलदार राशमी द्वारा प्रकरण संख्या 06/2022 निर्णय दिनांक 13.05.2022 अंतर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रावधित है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार हीरा पिता खेमा भील को भू-आवंटन कमेटी, कपासन द्वारा दिनांक 24.02.1981 को मौजा रेवाडा, तहसील राशमी की साबिक आराजी नम्बर 1823/211 रकबा 2.02 बीघा भूमि का आवंटन आवंटित की गई थी, जिसके नवीन सेटलमेंट आराजी नम्बर 2055/211 रकबा 0.3399 हैक्टेयर कायम किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वर्णित अनुसार उक्त भूमि बाबत प्रार्थना पत्र

आवंटन निरस्त अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 विचाराधीन है।

दौराने कार्यवाही अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से यह प्रतीत होता है कि मृतक हीरा पिता खेमा भील द्वारा वर्णित साबिक आराजी नम्बर 1823/211 रकबा 2.02 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, जिसके नवीन सेटलमेंट आराजी नम्बर 2055/211 रकबा 0.3399 हैक्टेयर कायम किये गये पर उक्त भूमि पर आवंटन दिनांक 24.02.1981 से खसरा गिरदावी सम्वत् 2039, 2043 एवं 2047 में काश्त नहीं की जाना प्रतीत होता है।

इस संबंध में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 आवंटन शर्तो उल्लेख किया जाना उचित समझते हैं:-

14. Condition of Allotment. - (1) The allotment of land under these rules shall be on a Gair Khatedari tenancy with a right to ultimate conferment of Khatedari rights after the expiry of 3 years provided the allottee fulfills during this period the terms and conditions of allotment until Khatedari rights are conferred. The allottee shall have all the rights and be subjected to all liabilities of a Gair Khatedar tenant under the Tenancy Act:

Provided also that the allotment of land may be cancelled at any stage by the Collector before the expiry of a period of 3 years, if the land is required for public purpose:

Provided further the no such order to the prejudice of such person shall be passed without giving him an opportunity of being heard.

14[(1-a) In case where allotment of land is made to a married agriculturist, the allotment of land shall be made in the joint name of husband and wife and the allottees, in such case shall be deemed to be joint allottees.]

(2) Rent at the sanctioned rent rate applicable to the land, or if the land applied for and allotted is unassessed, at the lowest class of

Barani land in the village for irrigated land and at the Chahi or Nehri rates, as the case may be. for Chahi or Nehri irrigated lands of the village shall be payable from the first year of allotment.

(3) The allottee shall have to bring the land under cultivation and shall utilize it properly.

Provided that this period may be extended by the Tehsildar by one year if, due to unforeseen causes over which the allottee had no control, he was unable to cultivate the land within the stipulated period.

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office or a Tehsildar or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

(5) The allottee shall pay to the State Government the price of the wells and permanent structures if any, existing on the land, as also the price of trees standing on the land at rates prescribed by rules made under section 80 and 81 of the Tenancy Act.

(6) Before acquisition of Khatedari rights the allottee shall not construct any permanent structures or buildings other than a tank, well or dwelling a house within the meaning of an "improvement" as defined by clause (19) of section 5 of the Tenancy Act.

(7) In case of land situated within a radius of 10 miles of Jaipur City the allottee shall also pay the price of trees at the rate of Fifteen rupees and 25 paise per bigha:

Provided that no such price shall be charged if the number of trees standing in a bigha of land is less than five.

(8) The land shall be liable to be resumed by the State Government without, payment of compensation if-

(a) it is not brought under cultivation strictly in accordance with the condition of allotment and it is not properly utilized;

(b) it is sub let or transferred in contravention of the provision of the Tenancy Act applicable to Gair Khatedar tenants;

(c) it is found that the allottee was not a landless agriculturist;

(d) the allottee makes default in the timely payment of the price referred to in clause 5 of the rule and/or the annual rent; or

(e) the allottee makes constructions on the land in contravention of the allotment rules.

(9) In case the land allotted is grass land or subject to erosion, the allottee shall have to undertake the work of soil conservation as and when directed by an officer of the Agriculture Department authorised in this behalf.

उक्त आवंटन की शर्तों के नियम 3 अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त करना आवश्यक है, उक्तानुसार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाना तथा उक्त आवंटित भूमि ग्राम रेवाड़ा के मुख्य सड़क मार्ग रास्ते पर होना में प्रतित होती है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत रेवाड़ा, तहसील राशमी द्वारा दिनांक 22.07.2024 को साधारण बैठक प्रस्ताव संख्या 3 में यह निर्णय लिया गया है कि "वक्त बैठक वार्डपंचों द्वारा ग्राम रेवाड़ा के मुख्य सड़क मार्ग पर शोभालाल पिता मोहनलाल भील द्वारा आराजी नम्बर 2055/211 भूमि का रूपांतरण करवाया गया है, परंतु सड़क मार्ग में नियमानुसार भूमि नहीं छोड़ी गई है। इस कारण आम लोगों को सड़क उपयोग आने-जाने में परेशानी उठानी पड रही है, भविष्य में उक्त सड़क के चौडा होकर विस्तारीकरण की संभावना है तथा मौके पर बरसाती नाला भी प्रस्तावित है। भू-माफिया द्वारा सड़क के मध्य बिन्दु से नियमानुसार 50 फीट भूमि नहीं छोड़ी जाने से सड़क

मार्ग संकडा हो जाता है तथा गांव के व्यक्तियों को भारी परेशानी उठानी पडती है। इस कारण सड़क की भूमि पर अतिक्रमण रोका जाना आवश्यक है तथा गलत तरीके से कराये गये रूपांतरण को निरस्त करवाने हेतु जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ एवं राज्य सरकार को लिखा जाने बाबत स्वीकृति सर्व सम्मती से दी जाती है।”

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 03.07.2024 तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, अतएवं अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित आराजी नम्बर 2055/211 के संबंध भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 में आवंटन की शर्तों की पालना की गई है या नहीं तथा आवंटन निरस्ती बाबत विचाराधीन प्रकरण विचार कर तथा उक्त भूमि के रूपांतरण के संबंध में अपनाई गई कार्यवाही की संपूर्ण जांच उपरांत उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नवनिर्णय पारित करें।

आदेश सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर